...य उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

...स. ग. 11/2024

1 रूपाराम मेघवाल पुत्र मुलाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 5, रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

2 नत्थूराम पुत्र तारूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 5, गोदिया बालाजी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

3 लक्ष्मी नारायण पुत्र छोटूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 5, गोदिया बालाजी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

4 बालाराम पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 5 गोदिया बालाजी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

वादीगण

बनाम

1 बुधी पुत्री मूलाराम मेघवाल रामदेवरा बीदासर हाल पत्नि नारायण मेघवाल निवासी वार्ड न. 36, नई हरीजन बस्ती सुजानगढ़ जिला चूरू राज.

2 बिजी पुत्री मुलाराम मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर चूरू

3 मैना देवी पत्नि तारूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तह. बीदासर चूरू

4 मनोज पुत्र तारूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर चूरू

5 पुनी पुत्री तारूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर चूरू

6 सरला पुत्री तारूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर चूरू

7 धापू पत्नि छोटूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर चूरू

8 प्रेमाराम पुत्र छोटूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर चूरू

9 देवाराम पुत्र चुकी पुत्री छोटूराम (पुत्र) गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा बीदासर चूरू

10 रामनिवास पुत्र चुकी पुत्री छोटूराम (पुत्र) गिरधारीराम जाति मेघवाल नि. मानपुरा बीदासर चूरू

11 नानुदेवी पुत्री चुकी पुत्री छोटूराम (पुत्री) गिरधारीराम पत्नि औकारमल जाति मेघवाल निवासी 68 गोगा मेड़ी सूरवास गोपालपुरा तह. बीदासर चूरू

12 सुशीला पुत्री चुकी पुत्री छोटूराम (पुत्री) गिरधारीराम जाति मेघवाल नि. मानपुरा बीदासर चूरू

13 भावना पुत्री चुकी पुत्री छोटूराम (पुत्री) गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा बीदासर चूरू

14 ममता पुत्री चुकी पुत्री छोटूराम (पुत्री) गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा बीदासर चूरू

15 यमुना पुत्री चुकी पुत्री छोटूराम (पुत्री) गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी मानपुरा बीदासर चूरू

16 सरीता पुत्री मींरा पुत्री छोटूराम हाल पुत्री शेराराम मेघवाल निवासी बैनाथा जोगलिया तह. बीदासर जिला चूरू

17 रामी पत्नि रूघाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर चूरू

18 भगवानाराम पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तह. बीदासर चूरू

19 गोरां पुत्री रूघाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर चूरू

20 मोहरा पुत्री रूघाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर चूरू

21 सन्तु पुत्री रूघाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

ना पुत्री रूघाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर चूरू
विमला पुत्री रूघाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर चूरू
24 मनिता पुत्री गणेशी पुत्री रूघाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा तह. बीदासर चूरू
25 भूरी पुत्री गणेशी पुत्री रूघाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा तह. बीदासर चूरू
26 नोपाराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तह. बीदासर चूरू
27 बुधाराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तह. बीदासर चूरू
28 पन्नाराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तह. बीदासर चूरू
29 खेतु पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर चूरू
30 सन्तु पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर चूरू
31 राजु पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 7 रामदेवरा बीदासर तहसील बीदासर चूरू
32 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू राज.

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 88ए, 188ए, 53 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1 वादी — श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी — मो. आमीन शेख एडवोकेट
3 प्रतिवादी स. 32 — पैरोकार राज.

निर्णय दिनांक :— 26/11/2024

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही ग्राम हरीनगर में खेत खसरा नम्बर 1027 रकबा 11.5336 हैक्टेयर (45—12 बीघा) मुला पुत्र पोकर के नाम, खेत खसरा नम्बर 1026 रकबा 3.6169 हैक्टेयर (14—06 बीघा) मनोहरी पत्नि खेता के नाम तथा रोही सिंवरों की ढ़ाणी में खेत खसरा नम्बर 489 रकबा 7.8154 हैक्टेयर (30—18 बीघा) मूला पुत्र पोकर के नाम व रोही धोंरा की ढ़ाणी में खेत खसरा नम्बर 529 रकबा 2.4914 हैक्टेयर (9—17 बीघा) मूलाराम पुत्र पोकर के नाम खातेदारी के दर्ज है। वाद पत्र की मद सख्या 2 में वर्णित सम्पूर्ण वादगत भूमि सम्पतियां खेत वादीगण के पूर्वज पोकर के वक्त की भूमि सम्पतियां है। पोकरराम के दो पुत्र सन्तान खेताराम व मुलाराम तथा एक पुत्री नानू देवी हूए। खेताराम के कोई पुत्र सन्तान नहीं हुई, खेताराम की पत्नि मनोहरी का निर्वसीयती लाऔलाद स्वर्गवास हो चुका है। पोकरराम की पुत्री नानूदेवी पत्नि घुनाराम ने मोहनराम को उसकी बाल्यावस्था में गोद ले लिया था। मोहनराम का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादीगण सख्या 26 ता 31 मोहनराम के वारिसान है। उपरोक्त वर्णित वादगत भूमि सम्पति स्व. मुलाराम के वक्त से ही मूलाराम के वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसमें

उपखण्ड अधिकारी

...गण एवं प्रतिवादीगण 3 ता 25 की पुख्ता पक्की बारहमासी ढ़ाणीयां मकानात बने हूए है पुख्ता सीवें कायम है। वादगत भूमि सम्पतियों के खातेदार एवं काश्तकार स्व. मूलाराम ने ही अपनी दो पुत्रीयॉ कमशः बुधी, बिजी का विवाह करके उनके हक हिस्सा का प्रतिफल अदा कर दिया था तब से मुलाराम की दोनो पुत्रीयॉ अपने घरबार की है जिनका वादगत भूमि सम्पतियों में कभी कोई हित कब्जा अधिकार नहीं रहा है। वादगत भूमि सम्पति स्व. मूलाराम के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 3 ता 25 के कब्जा काश्त में है। प्रतिवादी सख्या 26 ता 31 अपनी जोगलिया स्थिति भूमि सम्पतियो के काबिज और रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिनका वादगत भूमि सम्पतियो पर कभी कोई कब्जा काश्त या अधिकार नहीं रहा है और ना ही वर्तमान रेकार्ड अनुसार खातेदार है। वादगत भूमि सम्पतियां स्व. मूलाराम के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 3 ता 25 के कब्जा अधिकार में है जिनको वोह निर्बाध रूप से बिना किसी अवरोध उजर आपत्ति के काश्त कर रहे है। स्व. मूलाराम के वारिसान ने उपरोक्त वादगत भूमि सम्पतियों का विभाजन कर रखा है तथा अपने अपने हिस्सा पांती अनुसार हिस्सा पांती में आई भूमि खेत में अपनी ढ़ाणीयां मकानात बना कर आबाद है। सम्पूर्ण वादगत भूमि सम्पति का कुल रकबा 25.4573 हैक्टेयर है वादगत भूमि पर स्व. मुलाराम के चारो पुत्रगण काबिज काश्त है। रोही ग्राम धोरां की ढ़ाणी का वादगत खेत खसरा नम्बर 529 रकबा 2.4914 हैक्टेयर (9–17 बीघा) सम्पूर्ण छोटूराम के वारिसान वादी सख्या 3 व प्रतिवादी सख्या 7 ता 16 के कब्जा काश्त में है बाकी हिस्सा भूमि रोही हरिनगर के खेत खसरा नम्बर 1027, 1026 के कुल रकबा 59–18 बीघा में से उतरी तरफ की 15–03 बीघा हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में है। बाकी 44–17 बीघा में छोटूराम के दक्षिणी तरफ रूपाराम व रूपाराम के दक्षिणी तरफ रूघाराम के वारिसान तथा दक्षिणी तरफ तारूराम के वारिसान का कब्जा काश्त है। इसी प्रकार रोही सिंवरों की ढ़ाणी का वादगत खेत खसरा नम्बर 489 रकबा 30–18 बीघा में तीन हिस्सों अनुसार उतरी पूर्वी पाखी की 1/3 हिस्सा रूघाराम के वारिसान के, दक्षिणी पूर्वी तरफ की 1/3 हिस्सा भूमि वादी रूपाराम के कब्जा काश्त में तथा तीनो के संयुक्त छोडे गये उतर से दक्षिण की तरफ रास्ता के बाद की आथुणी तरफ की 1/3 हिस्सा भूमि तारूराम के वारिसान के कब्जा काश्त में है जिनके द्वारा अपने अपने हिस्सा भूमि की पुख्ता पक्की सीवें कायम है। मूलाराम के वारिसान का रोही हरिनगर में पुख्ता पक्के मकानात व रिहायसी बारहमासी ढ़ाणीयां मकानात बने हूए है। उपरोक्त विवादित खसरों की भूमि में प्रतिवादी सख्या 1, 2 व 26 ता 31 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादी सख्या 1, 2 विवाहित होकर जुबानी तौर पर अपना हिस्सा सामाजिक रिति रिवाज अनुसार परित्याग कर चुकी है। उपरोक्त विवादित खसराजात की भूमि सम्पति में वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 व 2 व प्रतिवादी सख्या 26

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

" का कभी कोई हक हिस्सा कब्जा अधिकार नहीं रहा है। राजस्व रेकार्ड में खातेदारी मूला पुत्र ... एवं मनोहरी पत्नि खेता (रेवन्ता) के नाम गलत दर्ज चली आ रही है जिसको दुरूस्त करवाने के ...धानिक अधिकार वादीगण को प्राप्त है। जमीनो के बाजार भाव बढ़ने के कारण प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया है और प्रतिवादीगण वादगत खेतों में चल रही खातेदारी में विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करवाकर कब्जा काश्त से भिन्न भूमि खेत को बिना कब्जा काश्त के भूमि माफिया लोगों को हस्तान्तरित करने की कुचेष्ठा में है, वित्तिय संस्थाओं के रहन रख कर लोन करवाने की फिराक में है जिसका प्रतिवादीगण को कब्जा काश्त नहीं होने के कारण कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त राजस्व रेकार्ड में मुताबिक कब्जा काश्त के रेकार्ड दुरूस्त करवा लेने का निवेदन किया तो काफी समय तक उक्त प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे, अन्त में दिनांक 01/02/2024 को प्रतिवादीगण ने वादगत खसराजात की भूमि के राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने से साफ इन्कार कर दिया और दिनांक 01/02/2024 को ऐलानिया धमकी दी की वादगत खसराजात में भले की हमारा कब्जा अधिकारी नहीं हो फिर में राजस्व रेकार्ड में चल रही गलत खातेदारी के आधार पर तुम्हारे कब्जा काश्त की भूमि को बैक के रहन रख देगे या भू माफिया लोगों को बेच देगे आदि आदि ऐलानिया धमकीया दी। प्रतिवादीगण भूमाफिया लोगो से साठगांठ रखने वाले बलशाली व्यक्ति है तथा किसी भी वक्त वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि को गलत खातेदारी की आड़ में विक्रय हस्तान्तरित कर सकते है तथा वादीगण को बैदखल कर सकते है इस कारण मामला अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है जो धारा 80(2) सी. पी. सी. के नोटिस से छूट लेकर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जिस भूमि पर प्रतिवादी सख्या 1, 2 व 26 ता 31 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है उनके किसी गलत अंकन के आधार पर वादीगण को उसके मालिकाना काबिजाना हक से वंचित नहीं किया जा सकेगा। दावा आवश्यक प्रकृति का है। विवादित खसराजात की भूमि रोही हरिनगर, सिंवरों की ढ़ाणी एवं धोरा की ढ़ाणी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज पोकरराम के वक्त की सम्पति है जिस पर कब्जा काश्त साधिकार पूर्वक चला आ रहा है जिससे मामला प्रथम दृष्टया सारवान है तथा वादीगण को वादाधार प्राप्त है। दावा उचित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है प्रतिवादीगण के जबरन बैदखल कर दिये जाने की धमकीया 01/2/2024 से वादीगण को वाद हैतुक प्राप्त है दावा घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का है जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है वादगत कृषि भूमि रोही हरिनगर, सिंवरों की ढ़ाणी एवं धोरा की ढ़ाणी में स्थित है जिसके लिए वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 23, 25 की तरफ से श्री मोहम्मद आमीन शेख से इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया, प्रतिवादी सख्या 24 की तरफ श्री अख्तार सोलंकी ने इकबाल जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सख्या 26 ता 31 की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी स. 32 सरकार की और से पैरोकार राज ने लिखित जवाब दावा प्रस्तुत किया। उपरोक्त वाद में किसी भी पक्ष द्वारा वाद के तथ्यों से इन्कारी करते हूए जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्य वादी में वादी रूपाराम ने सशपथ बयान प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। अन्य वादीगण नत्थूराम, लक्ष्मीनारायण, बालाराम ने सशपथ बयान प्रस्तुत किये जो शामिल मिशल किये गये। वादीगण ने और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना जाहिर करने वा साक्ष्य वादी बन्द की गई। प्रतिवादीगण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना जाहिर करने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज वर्तमान जमाबन्दी के रेकार्डेड खातेदार मूला, मनोहरी का स्वर्गवास होने के कारण उनके वारिसान पक्षकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयोजित है। बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य से वाद को नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली में नहीं है। लिहाजा दावा वादीगण राजीनामा अनुसार डिकी किये जाने योग्य है जिसको डिकी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

अतः उपरोक्त वाद इस प्रकार प्रारम्भिक डिकी किया जाता है कि वादगत खसराजात पूर्वजो के नाम दर्ज वर्तमान खातेदारी को अंकन हटाया जाकर रोही ग्राम धोरां की ढ़ाणी के खेत खसरा नम्बर 529 रकबा 2.4914 हैक्टेयर (9–17 बीघा) सम्पूर्ण छोटूराम के वारिसान वादी सख्या 3 व प्रतिवादी सख्या 7 ता 16 के ब.हि.ब. कब्जा काश्त अनुसार तथा बाकी हिस्सा भूमि रोही हरिनगर के खेत खसरा नम्बर 1027 रकबा 11.5336 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1026 रकबा 3.6169 हैक्टेयर दोनो के कुल रकबा 59–18 बीघा में से उतरी तरफ की 15–06 बीघा (राजस्व रेकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 1027 में से) इस प्रकार कुल 25–03 बीघा वादी सख्या 3 व प्रतिवादी सख्या 7 ता 16 के ब.हि.ब हिस्सा पांती अनुसार दर्ज हो, खसरा नम्बर 1027, 1026 के कुल रकबा 59–18 बीघा में से शेष 44–12 बीघा में से छोटूराम के वारिसान के चिपती दक्षिणी तरफ की 14–18 बीघा (राजस्व रेकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 1027 में से) वादी रूपाराम के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त अनुसार दर्ज हो तथा शेष भूमि 29–14 बीघा में से 14–17 बीघा (राजस्व रेकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 1027 में से) रूघाराम के वारिसान

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

वादी स. 4 व प्रतिवादी स. 17 ता 25 के ब.हि.ब हिस्सा पांती अनुसार दर्ज हो तथा बाकी भूमि 14–17 बीघा (राजस्व रेकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 1027 में से 0–11 बीघा व खसरा नम्बर 1026 रकबा 14–06 बीघा सम्पूर्ण) तारूराम के वारिसान वादी स. 2 व प्रतिवादी सख्या 3 ता 6 के ब.हि.ब हिस्सा पांती अनुसार दर्ज हो तथा रोही ग्राम सिंवरों की ढ़ाणी के खेत खसरा नम्बर 489 रकबा 7.8154 हैक्टेयर (30–18 बीघा) में से उतराद दिखणाद 12 फुट चौड़ा रास्ता भूमि संयुक्त शीर का वादी स. 1 के 1/3 हिस्सा, वादी स. 2 व प्रतिवादी स. 4 ता 7 के ब.हि.ब 1/3 हिस्सा तथा वादी स. 4 व प्रतिवादी स. 17 ता 25 ब.हि.ब 1/3 हिस्सा का संयुक्त शीर का अंकन करते हूए बाकी खसरा भूमि में उतरी पूर्वी पाखी की 1/3 हिस्सा भूमि रूघाराम के वारिसान वादी स. 4 व प्रतिवादी स. 17 ता 25 के ब.हि.ब. दर्ज हो व दक्षिणी पूर्वी पाखी की 1/3 हिस्सा भूमि वादी स. 1 रूपाराम के हिस्सा पांती में दर्ज हो तथा रास्ता के बाद आथुणी तरफ की उतरी सींव से दक्षिणी सींव तक 1/3 हिस्सा भूमि तारूराम के वारिसान वादी स. 2 व प्रतिवादी सख्या 3 ता 6 के ब. हि. ब. हिस्सा पांती अनुसार दर्ज हो। इस प्रकार प्रारम्भिक डिकी जारी हो। प्रारम्भिक डिकी जारी होकर विभाजन प्रस्ताव हेतू तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे साथ ही तहसीलदार बीदासर विभाजन किये जा रहे खेत की वर्तमान जमाबन्दी विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें। इस प्रकार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 26–11 –2024 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

अमीलाल यादव
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)